न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—कृष्ण गोपाल जोजन आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 137/2017 **दायर दिनांकः 01/09/2017**

उनवान

1. प्रेमबाई आयु 62 वर्ष पत्नी आशाराम जाति मीणा निवासी बिछालस तहसील अटरू जिला बारां (राज0)

वादी

बनाम

1. शम्भूदयाल पुत्र नन्दकिशोर जाति मीणा निवासी बिछालस हाल जैल कॉलोनी अटरू तह0 अटरू जिला बारां (राज0)
2. मुरलीधर पुत्र नन्दकिशोर जाति मीणा निवासी बिछालस हाल जैल कॉलोनी अटरू तह0 अटरू जिला बारां (राज0)
3. गीता बाई पुत्री नन्दकिशोर जाति मीणा निवासी बिछालस हाल कलमण्ड़ा की झोपड़िया तह0 बारां जिला बारां (राज0)
4. भूली बाई पुत्री नन्दकिशोर जाति मीणा निवासी बिछालस तह0 अटरू जिला बारां (राज0)
5. नटीबाई पुत्री नन्दकिशोर जाति मीणा निवासी बिछालस हाल जैल कॉलोनी अटरू तह0 अटरू जिला बारां (राज0)
6. कैलाश बाई पत्नी नन्दकिशोर जाति मीणा निवासी बिछालस हाल जैल कॉलोनी अटरू तह0 अटरू जिला बारां (राज0)
7. छीतरलाल पुत्र किशनगोपाल जाति मीणा निवासी बिछालस तह0 अटरू जिला बारां (राज0)
8. प्रेमचन्द पुत्र किशनगोपाल जाति मीणा निवासी बिछालस तह0 अटरू जिला बारां (राज0)
9. रामप्रसाद पुत्र रामनाथ जाति मीणा निवासी बिछालस तह0 अटरू जिला बारां
10. शिशुपाल पुत्र रामनाथ जाति मीणा निवासी बिछालस तह0 अटरू जिला बारां
11. धनपाल पुत्र रामनाथ जाति मीणा निवासी बिछालस तह0 अटरू जिला बारां
12. भरोसी बाई पुत्री रामनाथ जाति मीणा निवासी बिछालस तह0 अटरू जिला बारां (राज0)
13. बादाम बाई पुत्री रामनाथ जाति मीणा निवासी बिछालस तह0 अटरू जिला बारां (राज0)
15. हंसराज पुत्र किशनचन्द जाति मीणा निवासी बिछालस तह0 अटरू जिला बारां (राज0)
16. देवीशंकर पुत्र किशनचन्द जाति मीणा निवासी बिछालस तह0 अटरू जिला बारां (राज0)

17. ओमप्रकाश पुत्र किशनचन्द जाति मीणा निवासी बिछालस तह0 अटरू जिला बारां (राज0)
18. चम्पाबाई पत्नी किशनचन्द जाति मीणा निवासी बिछालस तह0 अटरू जिला बारां (राज0)
19. रामदयाल पुत्र प्रभूलाल जाति मीणा निवासी बिछालस तह0 अटरू जिला बारां
20. कलावती पुत्री प्रभूलाल जाति मीणा निवासी बिछालस तह0 अटरू जिला बारां
21. कैलाबाई पुत्री प्रभूलाल जाति मीणा निवासी बिछालस तह0 अटरू जिला बारां (राज0)
22. शाखा प्रबन्धक महोदय सैन्ट्रल बैंक ऑफ इण्ड़िया शाखा अटरू तह0 अटरू
23. शाखा प्रबन्धक महोदय भारतीय स्टेट बैंक शाखा अटरू तह0 अटरू
24. शाखा प्रबन्धक महोदय बैंक ऑफ बडौदा शाखा अटरू तह0 अटरू
25. श्रीमान तहसीलदार साहब तहसील अटरू जिला बारां (राज0)

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92(ए), 53 आर0टी0एक्ट0 एवं 136 एल0आर0एक्ट0

उपस्थिति :–

वादीगणः– विद्वान अभिभाषक श्री चन्द्र प्रकाश योगी।

प्रतिवादी क्रम 10 ल 15ः– विद्वान अभिभाषक श्री रामकरण सुमन।

आदेश दिनाकः 04/03/2020

पत्रावली पेश हुई, वकील उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादी ने यह दावा अन्तर्गत धारा 53, 183, 188 आर0टी0एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि वाकेया माल एवं ग्राम बिछालस में आराजी सम्वत् 2039–2042 खाता संख्या 14 का ख0न0 मि0 8/1 रकबा 31 बीघा 4 बिस्वा, ख0न0 मि0 38/1 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा, ख0न0 मि0 67/1 रकबा 9 बीघा 18 बिस्वा, ख0न0 मि0 92/1 रकबा 2 बिस्वा, मि0 ख0न0 159 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, मि0 ख0न0 160/1 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, मि0 ख0न0 257 रकबा 3 बिस्वा, मि0 ख0न0 298 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, ख0न0 333/1 रकबा 3 बिस्वा कुल किता 9 का कुल रकबा 48 बीघा 12 बिस्वा आराजी खातेदार किशनगोपाल, रामनाथ, नन्दकिशोर पुत्र गणेश, जानकी पुत्री व टूंडी बाई बेवा गणेश कोम मीणा निवासी बिछालस तह0 अटरू जिला बारां राज0 के काब्जे काश्त एवं स्वामित्व में चली आ रही थी। इसी प्रकार सम्वत् 2039–2042 वाकेया ग्राम एवं माल बिछालस की खाता संख्या 85 की ख0न0 मि0 8/2 रकबा 31 बीघा 4 बिस्वा, मि0 ख0न0 61/2 रकबा 9 बीघा 18 बिस्वा, ख0न0 38/2 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा, ख0न0 92/2 रकबा 2 बिस्वा, ख0न0 159/2

रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, ख0न0 160/2 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, ख0न0 257/2 रकबा 4 बिस्वा, ख0न0 298/2 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा, ख0न0 333/2 रकबा 2 बीघा कुल किता 9 का कुल रकबा 48 बीघा 11 बिस्वा आराजी खातेदार लक्ष्मण पुत्र बिरधा कोम मीणा निवासी बिछालस तह0 अटरू जिला बारां के कब्जे काश्त एवं स्वामित्व में चली आ रही थी। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2039–2042 खाता संख्या 85 व नकल जमाबन्दी सम्वत् 2039–2042 खाता संख्या 14 वाद पत्र के साथ संलग्न हैं। जो काबिल गौर हैं। वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित दोंनो खातो की आराजियात एक ही हैं जो बटंवारे के आधार पर पृथक–पृथक कायम हुये हैं जिन्हें सेटलमेन्ट विभाग द्वारा पुनः संयुक्त रूप से कायम कर दिया एवं तत्पश्चात वर्तमान सेटलमेन्ट के बाद नयी जमाबन्दी में दोंनो खातों का एक खाता कर खाता संख्या 77 का कुल किता 15 का रकबा 15.63 है0 दर्ज कर दिये। नकल जमाबन्दी सेटलमेन्ट विभाग खाता संख्या 77 व नकल मिलान क्षैत्रफल वाद पत्र के साथ संलग्न हैं। जो काबिल गौर हैं। वादीया एवं प्रतिवादीगण क्रम 1 ता 21 का पारिवारिक सजरा निम्नानुसार हैं :–

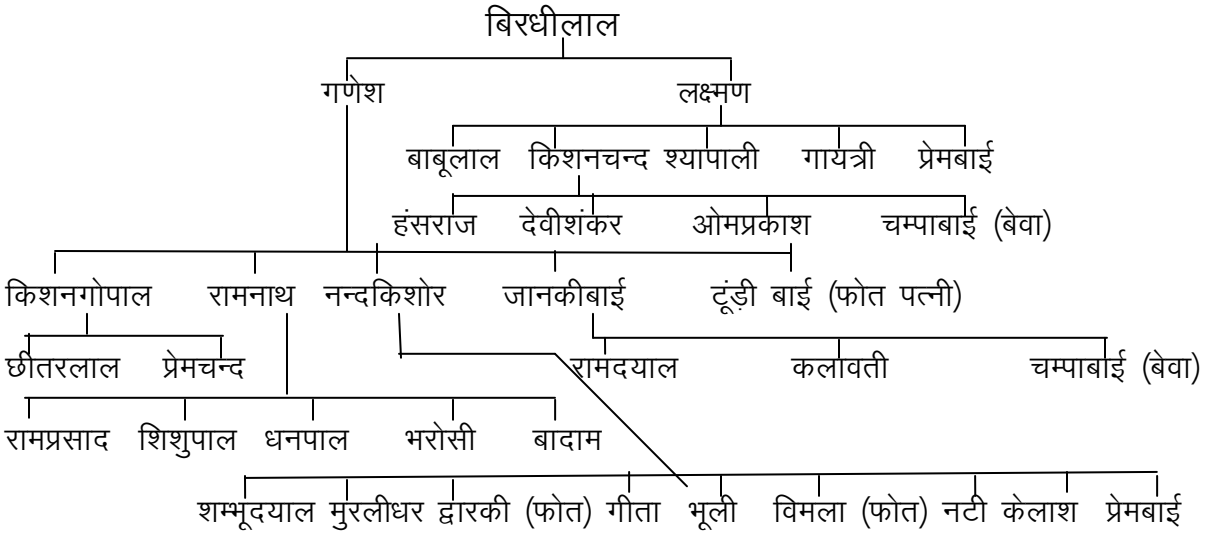

(वादीनी)

उक्त सजरे अनुसार वादीया एवं प्रतिवादीगण क्रम 1 ता 21 की वैशावली हैं।

सेटलमेन्ट विभाग द्वारा पूर्व खाता संख्या 14 व खाता संख्या 85 के नये खाता नं0 77 दर्ज कर उसके नये ख0न0 8 रकबा 1.68 है0, ख0न0 9 रकबा 1.02 है0, ख0न0 10 रकबा 1.24 है0, ख0न0 30 रकबा 6.04 है0, ख0न0 167 रकबा 0.57 है0, ख0न0 168 रकबा 0.25 है0, ख0न0 170 रकबा 1.85 है0, ख0न0 171 रकबा 1.67 है0, ख0न0 303 रकबा 0.06 है0, ख0न0 319 रकबा

0.43 है0, ख0न0 320 रकबा 0.24 है0, ख0न0 360 रकबा 0.26 है0, ख0न0 361 रकबा 0.22 है0, ख0न0 374 रकबा 0.07 है0, ख0न0 473 रकबा 0.03 है0, कुल किता 15 का कुल रकबा 15.63 है0 आराजी खातेदारान किशनगोपाल हिस्सा 1/5, रामनाथ हिस्सा 1/5, नन्दकिशोर पुत्र गणेश, प्रेमबाई पत्नी आशाराम हिस्सा 1/5, जानकी पुत्री गणेश हिस्सा 1/5, टूंड़ी बाई बेवा गणेश हिस्सा 1/5, हिस्सा 1/2 में बांट बराबर व लक्ष्मण पुत्र बिरधा हिस्सा 1/2 के नाम खाते दर्ज हुआ जो खातेदारान के कब्जे काश्त एवं स्वामित्व में चली आ रही थी। नकल जमाबन्दी सेटलमेन्ट विभाग व मिलान क्षैत्रफल वाद पत्र के साथ संलग्न हैं। जो काबिल गौर हैं। खातेदार नन्दकिशोर पुत्र गणेश ने मि0 ख0न0 8/1 रकबा 31 बीघा 4 बिस्वा आराजी में से अपने हिस्से की आराजी में से 5 बीघा आराजी दिनांक 31/05/1984 को वादीनी को बेचान कर दी थी एवं बाद में दिनांक 03/07/1991 को शेष 3 बीघा आराजी की वादीनी को बेचान कर दी थी। उक्त बेचान के आधार पर वादीनी के नाम आराजी पर नामान्तरण दर्ज होकर सेटलमेन्ट जमाबन्दी में खाता संख्या 77 में नन्दकिशोर पुत्र गणेश व प्रेमबाई जौजे आशाराम का नाम 1/5 हिस्से पर संयुक्त दर्ज हो गया। नकल जमाबन्दी सेटलमेन्ट विभाग खाता संख्या 77 वाद पत्र के साथ संलग्न हैं। जो काबिल गौर हैं। खातेदार नन्दकिशोर पुत्र गणेश ने अपने हिस्से 1/5 में से 8 बीघा आराजी का बेचान वादीनी को कर दिया जो नन्दकिशोर के हिस्से 1/5 का 4/25 बनता हैं जिसकी वादीनी खातेदार कृषक घोषित होने की अधिकारी हैं एवं सेटलमेन्ट जमाबन्दी नन्दकिशोर पुत्र गणेश हिस्सा 1/25 एवं वादीनी 4/25 दर्ज होना चाहिए था जबकि सेटलमेन्ट विभाग के कर्मचारीगण द्वारा सहवन से नन्दकिशोर व वादीनी का हिस्सा 1/5 दर्ज कर दिया जिसे दुरस्त करवाने की वादीनी अधिकारी हैं। खातेदार नन्दकिशोर पुत्र गणेश द्वारा दिनांक 23/01/1992 को अपनी शेष बची आराजी ख0न0 मि0 38/1 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा, मि0 ख0न0 67/1 रकबा 9 बीघा 18 बिस्वा, मि0 ख0न0 92/1 रकबा 2 बिस्वा, मि0 ख0न0 159/1 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, मि0 ख0न0 160/1 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, मि0ख0न0 257/1 रकबा 3 बिस्वा, मि0 ख0न0 298/1 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा व मि0 ख0न0 333/1 रकबा 3 बिस्वा कुल किता 5 का कुल रकबा 17 बीघा 3 बिस्वा आराजी में से अपना सम्पूर्ण 1/5 हिस्सा किशनचन्द पुत्र लक्ष्मण जाति मीणा निवासी बिछालस को बेचान कर दिया जिसका नामान्रण दर्ज होकर सम्वत् 2052 से 2055 की जमाबन्दी में क्रेता का नाम दर्ज हो गया। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2052 से 2055 खाता संख्या 15 व नामान्तरण संख्या 8 वाद पत्र के साथ संलग्न हैं। जो काबिल गौर हैं। इस प्रकार वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी

में से खातेदार नन्दकिशोर पुत्र गणेश जाति मीणा ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा 1/5 पूर्व में वादीनी को एवं बाद में किशनचन्द पुत्र लक्ष्मण को बेचान कर दिया एवं उसी के आधार पर नन्दकिशोर पुत्र गणेश की आराजी पर क्रेता वादीनी प्रेमबाई पत्नी आशाराम जाति मीणा व किशनचन्द पुत्र लक्ष्मण का नाम जमाबन्दी सम्वत् 2052 –2055 में दर्ज हो गया। लेकिन नन्दकिशोर के कोई आराजी शेष नहीं होते हुये भी उसकी मृत्यु के पश्चात् उसके वारिसान प्रतिवादीगण क्रम 1 ता 6 का नाम जमाबन्दी सम्वत् 2052–2055 में दर्ज हो गये। जो निरन्तर चले आ रहे हैं। नन्दकिशोर के हिस्से की 1/5 आराजी पर क्रय की तब से 9/70 हिस्से पर वादीनी एवं शेष बचे 1/14 हिस्से पर किशनचन्द पुत्र लक्ष्मण का कब्जा काश्त एवं स्वामित्व चला आ रहा हैं। सहवन से नन्दकिशोर पुत्र गणेश जाति मीणा की जगह वादीनी एवं प्रतिवादीगण क्रम 1 ता 6 का नाम खाते में 9/70 हिस्सा 1/2 हिस्से में से का दर्ज हो गया हैं जिसे दुरस्त करवाने की वादीनी अधिकारी हैं। खातेदार टूंड़ी बाई पत्नी गणेश का उक्त आराजी में कुल 1/2 हिस्से का 1/5 हिस्सा निहित था लेकिन उनका स्वर्गवास हो जाने के कारण उसकी आराजी में प्रतिवादीगण क्रम 1 ता 6 का हिस्सा 1/2 की आराजी में 1/5 का 1/4 हिस्सा बनता था जिसे प्रतिवादीगण क्रम 1 ता 6 के पिता नन्दकिशोर पुत्र गणेश ने वादीया को बेचान कर दिया था इस प्रकार सम्पूर्ण आराजी में वादीया का हिस्सा 5/28 बनता हैं लेकिन वादीया को आराजी बेचान करने के बाद भी वादीया के साथ प्रतिवादीगण क्रम 1 ता 6 का नाम सहवन से खाते में दर्ज हो गया हैं जिसे दुरस्त करवाने की वादीनी अधिकारी हैं। वाद पत्र की मद नं0 4 में सहवन से प्रतिवादीगण क्रम 1 ता 6 का नाम वादीनी के हिस्से में दर्ज होने से प्रतिवादीगण क्रम 1 ता 6 आये दिन वादीनी की आराजी को खुर्द–बुर्द एवं कब्जा करने पर आमादा रहते हैं। जिनका नाम वादीनी खाते से हटवाकर दुरस्त करवाना चाहती हैं। इस हेतु यह वाद माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा हैं। वादीनी द्वारा पूर्व में कई बार एवं दिनांक 25/06/2017 को पुनः प्रतिवादीगण क्रम 1 ता 6 से राजस्व कर्मचारीयों द्वारा सहवन से हुयी गलती को प्रतिवादीगण क्रम 25 के यहाँ चलकर दुरस्त करवाने की कहा तो उन्होंने मना कर दिया व गाली–गलौच करने की व आराजी को खुर्द–बुर्द करने की धमकी दी। बिना सहायता न्यायालय प्रतिवादीगण क्रम 1 ता 6 द्वारा किये जा रहे अवैधानिक एवं गैर कानूनी कृत्य से रोका जाना सम्भव नहीं हैं अगर प्रतिवादीगण क्रम 1 ता 6 अपने गैर कानूनी व अवैधानिक कृत्य में सफल हो गये और सहवन से आराजी नी आये नाम के आधार पर वादीनी के अपनी आराजी से बेदखल कर कब्जा कर लिया एवं आराजी को खुर्द–बुर्द कर लिया तो वादीनी को अपने स्वामित्व की

आराजी से वंचित होना पड़ेगा जिससे वादीनी को अपरिमित क्षति होगी जिसकी पूर्ति बाद में अन्य प्रकार से होना सम्भव नहीं हैं तथा वादीनी को अनेकानेक वाद–विवादों में उलझना पड़ेगा इस कारण वादीनी वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन करती हैं कि प्रतिवादीगण क्रम 1 ता 6 को आदेशात्मक स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें कि वे वाद पत्र की मद नं0 4 में राजस्व कर्मचारियों द्वारा सहवन से हुयी गलती के आधार पर वाद पत्र की मद नं0 4 में वर्णित आराजी पर आये खाते में सम्वत् 2052–2055 की जमाबन्दी के आधार पर वादीनी की आराजी 9/70 व 1/20 कुल 5/28 पर अवैधानिक तरीके से कब्जा करने की कोशिश न करें उसे खुर्द–बुर्द करने की कोशिश न करें। जमाबन्दी से अपने नामों को डिलिट करवा लें। राजस्व रिकॉर्ड में कोई हेर–फेर न करें ऐसा कृत्य न तो प्रतिवादीगण क्रम 1 ता 6 करें ना ही अपने प्रतिनिधियों से करावें। इस हेतु यह वाद माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा हैं। राजस्थान सरकार भूमिधारी होने से एवं वाद आवश्यक प्रकृति का होने से श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय को नोटिस प्रषित किये बिना ही वाद धारा 80(2) सी0पी0सी0 के पृथक से प्रार्थना पत्र के साथ पेश किया जा रहा हैं जिसे स्वीकार कर वाद की सुनवाई किये जाने की कृपा करें। आराजी शामलाती खाते की होने से एवं सहखातेदारान होने से प्रतिवादीगण क्रम 7 ता 21 को आवश्यक पक्षकार बनाया गया हैं जिनसे वाद में कोई अनुतोष नहीं चाहा गया हैं। खातेदारान द्वारा अपनी–अपनी आराजी प्रतिवादीगण क्रम 22, 23, 24 के यहाँ रहन रखने से उन्हें आवश्यक पक्षकार बनाया गया हैं। राजस्थान सरकार भूमिधारी होने से एवं वाद घोषणात्मक स्थायी निषेधाज्ञा एवं बटंवारे का होने से श्रीमान तहसीलदार साहब अटरू को आवश्यक पक्षकार प्रतिवादीगण क्रम–25 बनाया गया हैं। वाद कारण प्रथम बार एवं अंतिम बार दिनांक 25/06/2017 को वादीनी द्वारा जमाबन्दी में हुयी गलती को दुरस्त करवाने की कहने पर प्रतिवादीगण क्रम 1 ता 6 द्वारा मना करने एवं लड़ाई–झगड़ा करने पर आमादा होने पर माननीय न्यायालय के सीमा क्षेत्र में उत्पन्न हुआ। विवादाग्रस्त आराजी ग्राम एवं माल बिछालस तह0 अटरू के होने से माननीय न्यायालय को इस वाद को सुनने का क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त हैं। वाद राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर दावा हाजा पेश हैं जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य हैं। वाद अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश हैं।

अतः माननीय न्यायालय में वादीया वाद प्रस्तुत कर निवेदन करती हैं कि डिक्री बहक वादीया विरूद्ध प्रतिवादीगण क्रम 1 ता 6 निम्न आशय की पारित की जावें किः–

(अ) यह कि प्रतिवादीगण क्रम 1 ता 6 को आदेशात्मक स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें कि वाद पत्र की मद न0 4 में वर्णित आराजी पर राजस्व कर्मचारीगण द्वारा सहवन से हुयी गलती के आधार पर सम्वत् 2052–2055 की जमाबन्दी के आधार पर वादीनी की आराजी 9/70 व 1/20 कुल 5/28 पर अवैधानिक तरीके से कब्जा करने की कोशिश न करें उसे खुर्द–बुर्द न करें ऐसा कृत्य ना तो प्रतिवादीगण क्रम 1 ता 6 स्वंय करें ना ही अपने प्रतिनिधियों से करावें।

(ब) यह कि प्रतिवादीगण क्रम 1 ता 6 को पाबन्द फरमाया जावें कि वह राजस्व रिकॉर्ड मौके की यथास्थिति बनाये रखने उसमें हेर–फेर न करें ऐसा कृत्य ना तो स्वंय करें ना ही अपने प्रतिनिधियों से करावें।

(स) प्रतिवादीगण क्रम 25 को आदेशित करें कि वह वाद पत्र की मद नं0 4 में वर्णित आराजी में वादीनी के हिस्से 9/70 व 1/20 कुल 5/28 से प्रतिवादीगण क्रम 1 ता 6 का नाम डिलिट कर सम्पूर्ण 5/28 हिस्से पर वादीनी को खातेदार कृषक घोषित किया जावें।

(द) अगर दौराने वाद प्रतिवादीगण क्रम 1 ता 6 आराजी पर कब्जा कर ले एवं आराजी को खुर्द–बुर्द कर देंवे तो कब्जा वादीनी को सम्भलाया जावें।

(य) यह कि अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वादी को प्रदान की जावें।

रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादी की तलबी की गई। प्रतिवादी कम 1 ल 6 व 24 उपस्थित नही होने के कारण एक तरफा कार्यवाही की गई, प्रतिवादी कम 7 से 21 से वादी द्वारा कोई रिलीफ नही चाही गई, प्रतिवादी कम 25 द्वारा जवाब दावा पेश नही करने के कारण जवाब दावा बंद किया गया। प्रतिवादी कम 22 शाखा प्रबन्धक सी.बी.आई शाखा अटरू की ओर से निम्न जवाब दावा पेश कर कथन किया गया कि वाद पत्र की मद नं0 1 में जमीन स्थित होना स्वीकार है। वाद पत्र की मद नं0 2 जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। वाद पत्र की मद नं0 3 जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। वाद पत्र की मद नं0 4 जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। वाद पत्र की मद नं0 5 जानकारी के अभाव में अस्वीकार है।

वाद पत्र की मद नं0 6 जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। वाद पत्र की मद नं0 7 जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। वाद पत्र की मद नं0 8 जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। वाद पत्र की मद नं0 9 जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। वाद पत्र की मद नं0 10 जानकारी के अभाव में स्वीकार नही है। वाद पत्र की मद नं0 11 जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। वाद पत्र की मद नं0 12 स्वीकार नही है। वाद पत्र की मद नं0 13 स्वीकार नही है। वाद पत्र की मद नं0 14 जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। वाद पत्र की मद नं0 15 में वर्णित तथ्यों मे प्रतिवादी क्रम 22 शाखा प्रबन्धक सी.बी.आई शाखा अटरू के वाद पत्र में वर्णित भूमि रहन भार दर्ज होना स्वीकार है। वाद पत्र की मद नं0 16 कानूनी है। वाद पत्र की मद नं0 17 अस्वीकार है। वाद पत्र की मद नं0 18 कानूनी होने से स्वीकार है। वाद पत्र की मद नं0 19 कानूनी है। वाद पत्र की मद नं0 20 अस्वीकार ह। वाद पत्र में चाहा गया अनुतोष अस्वीकार है क्योंकि जब तक प्रतिवादी क्रम 22 का ऋण मय ब्याज अदा नही हो जाता तब तक वादिया किसी प्रकार की कानूनी सहायता प्राप्त नही कर सकती।

—::विशेष कथनः:—

जब तक सी.बी.आई. शाखा अटरू का ऋण मय ब्याज अदा नही हो जाता तब तक वादिया के किसी प्रकार की कानूनी सहायता प्राप्त करने की अधिकारिणी नही है।

अतः माननीय न्यायालय में जवाब दावा पेश कर निवेदन है कि जब तक प्रतिवाद क्रम 22 शाखा प्रबन्धक सी.बी.आई शाखा अटरू का ऋण मय ब्याज चूकता नही हो जाता तब तक वादिया को किसी प्रकार की कानूनी सहायता नही दी जावें।

प्रतिवादी क्रम 23 की ओर से निम्न जवाब दावा मय प्रतिवाद पत्र प्रस्तुत कर कथन करते है कि वाद पत्र की मद नं0 1 स्वीकार है। वाद पत्र की मद नं0 2 जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। वाद पत्र की मद नं0 3 जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। वाद पत्र की मद नं0 4 जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। वाद पत्र की मद नं0 5 जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। वाद पत्र की मद नं0 6 जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। वाद पत्र की मद नं0 7 जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। वाद पत्र की मद नं0 8 जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। वाद पत्र की मद नं0 9 जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। वाद पत्र की मद नं0 10 से सम्बन्ध नही है। अतः अस्वीकार है। वाद पत्र की मद नं0 11 से सम्बन्ध नही है। अतः अस्वीकार है। वाद पत्र की मद नं0 12 जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। वाद पत्र की मद नं0 13 जानकारी के अभाव में अस्वीकार

है। वाद पत्र की मद नं0 14 कानूनी है। वाद पत्र की मद नं0 15 स्वीकार है। वाद पत्र की मद नं0 16 कानूनी है। वाद पत्र की मद नं0 17 कानूनी है। वाद पत्र की मद नं0 18 कानूनी है। वाद पत्र की मद नं0 19 कानूनी है। वाद पत्र की मद नं0 20 कानूनी है। अनुतोष वादिया स्वीकार नही है। विशेष कथन विशेष आपत्तियों में दर्ज है।

—::विशेष आपत्तियां जवाब दावा मय प्रतिवाद पत्र::—

प्रतिवादी क्रम 7, 8, 9, 20, 21 ने प्रतिवादी क्रम 23 से अपने अपने हिस्से की आराजी को रहन रखकर उप पंजीयक कार्यालय अटरू में राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में रहन भार दर्ज करवाकर किसान क्रेडिड कार्ड योजना के अन्तर्गत ऋण प्राप्त कर रखा है। जिसका रहन भार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में अंकित है। जो वर्तमान में भी चालू एवं बकाया है जब तक प्रतिवादी क्रम 7, 8, 9, 20, 21 प्रतिवादी क्रम 23 का समस्त ऋण अदा कर रहन भार मुक्त प्रमाण प्राप्त कर राजस्व रिकार्ड जमाबन्छी में रहन मुक्त दर्ज नही करवा लेते है तब तक राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में किसी प्रकार का फेरबदल नही करें। यदि खाता विभाजन किया जाता है। तो प्रतिवादी क्रम 7, 8, 9, 20, 21 के हिस्से की आराजी पर प्रतिवादी क्रम 23 का रहन भार राजस्व रिकार्ड में यथावत रखा जावें जिसका प्रतिवादी क्रम 23 अधिकारी है। प्रतिवाद कारण वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध माननीय न्यायालय मे वाद प्रस्तुत करने पर माननीय न्यायालय के सीमाक्षेंत्र में उत्पन्न हुआ। प्रविताद पत्र अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है।

अतः माननीय न्यायालय में प्रतिवादी क्रम 23 जवाब दावा मय प्रतिवाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन करता है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रतिवादी क्रम 23 के पक्ष मे निम्न आशय की डिक्री सादिर फरमाई जावें किः—

(अ) प्रतिवादी क्रम 7, 8, 9, 20, 21 ने प्रतिवदी क्रम 23 से अपने अपने हिस्से की आराजी को रहन रखकर उपपंजीयक कार्यालय अटरू राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में रहन भार दर्ज करवाकर किसान क्रेडिड कार्ड योजना के अन्तर्गत ऋण प्राप्त कर रखा है। जिसके रहन भार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में अंकित है। जो वर्तमान में भी चालू एवं बकाया है। जब तक प्रतिवादी क्रम 7. 8. 9. 20. 21 प्रतिवादी क्रम 23 का समस्त ऋण अदा कर रहन भार मुक्त प्रमाण प्राप्त कर राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में रहन मुक्त दर्ज नही करवा लेते है। तब

तक राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में किसी प्रकार का फेरबदल नही करें। यदि खाता विभाजन किया जाता है तो प्रतिवादी क्रम 7, 8, 9, 20, 21 के हिस्से की आराजी पर प्रतिवादी क्रम 23 का रहन भार राजस्व रिकार्ड में यथावत रखा जावे।

(ब) अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वह प्रतिवादी क्रम 4 को दिलायी जावें।

वादी द्वारा जवाब उल जवाब पेश नही करने के कारण जवाब उल जवाब बंद किया जाता है।

साक्ष्यवादी के तहत् PW_1 से PW_4 का शपथ पत्र पेश किया, रिकार्ड EXP करवाया गया और साक्ष्य पेश नही करने के कारण साक्ष्यवादी बंद किये गये। अभिभाषक वादिया की एक तरफा बहस सुनी अभिभाषक वादिया द्वारा वाद पत्र में अंकित बिन्दुओ को दोहराया तथा कथन किया गया कि वाद पत्र की मद नं0 4 में वर्णित आराजी में वादिनी के हिस्सा 9/70 व 120 कुल 5/28 से प्रतिवादीगण क्रम 1 ता 6 का नाम डिलिट कर सम्पूर्ण हिस्सा 5/28 पर वादिनी को खातेदार कृषक घोषित किया जावें। तथा कब्जा वादिनी को सम्भलाया जावें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया सेटलमेन्ट विभाग द्वारा पूर्व खाता संख्या 14 व खाता संख्या 85 के नये खाता संख्या 77 दर्ज कर उसके नये नम्बर बनाकर कुल किता 15 रकबा 15.63 है0 आराजी खातेदारान किशनगोपाल हिस्सा 1/5 रामनाथ 1/15 नन्दकिशोर पुत्र गणेश, प्रेमबाई पत्नि आशाराम हिस्सा 1/5 जानकी पुत्री गणेश हिस्सा 1/5 टूंडीबाई बेवा गणेश हिस्सा 1/5 हिस्सा 1/2 में बांट बराबर व लक्ष्मण पुत्र बिरधा हिस्सा 1/2 खाते दर्ज है।

प्रस्तुत रिकार्ड अनुसार खातेदार नन्दकिशोर पुत्र गणेश ने अपने हिस्सा 1/5 में 8 बीघा आराजी वादीनी को बैचार कर दी गई जिसमें वादनी का 4/25 हिस्सा बनता है। जबकि सेटलमेन्ट विभाग के कर्मचारियान द्वारा सहवन से नन्द किशोर व वादिनी का हिस्सा 1/5 दर्ज कर दिया है।

तथा नन्दकिशोर पुत्र गणेश द्वारा दिनांक 23.01.1992 को अपनी शेष बची भूमि किता 5 रकबा 17 बीघा 3 बिस्वा में से अपना सम्पूर्ण 1/5 हिस्सा किशनचन्द पुत्र लक्ष्मण को बैचान कर दिया जिसका नामा0 खुलकर क्रेता का नाम दर्ज हो गया है। जिसकी नकल जमाबन्दी 20152–2055 खाता सं0 15 व नामान्तरण संलग्न है।

इस प्रकार खातेदार नन्दकिशोर पुत्र गणेश ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा 1/5 वादनी व किशनचन्द पुत्र लक्ष्मण को बैचान कर दी गई थी, उसी आधार पर क्रेता प्रेमबाई व किशनचन्द का नाम जमाबन्दी सम्वत् 2052–2055 में दर्ज हो गया। लेकिन नन्द किशोर की मृत्यु उपरान्त उसके वारिसयान प्रतिवादी 1 ता 6 का नाम दर्ज हो गया जबकि नन्दकिशोर के हिस्से की 1/5 आराजी क्रय की तब से 9/70 हिस्सों पर वादीनी एवं शेष बचे 1/14 हिस्सा पर किशनचन्द पुत्र लक्ष्मण का कब्जा कास्त है।

अतः रिकार्ड व साक्ष्य के आधार पर वादिया का वाद स्वीकार योग्य है।

–:क्रियात्मक आदेशः–

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादिया का वाद स्वीकार किया जाता है, विवादित आराजी ग्राम बिछालस की खाता संख्या 77 की किता 15 रकबा 15.63 है0 में हिस्सा 1/2 में सहखातेदार नन्दकिशोर द्वारा सम्पूर्ण हिस्सा 1/5 बैचान वादिया प्रेमबाई, को 8 बीघा तथा शेष रही आराजी किशनचन्द पुत्र लक्ष्मण मीणा को बैचान कर दी गई। इस तरह नन्द किशोर ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा 1/5 बैचान करने के कारण वर्तमान में (मृतक) नन्दकिशोर के वारिसयान प्रतिवादीगण 1 ल 6 का नाम खाते से पृथक किये जाने के आदेश किये जाते है। वादिया को हिस्सा 9/70 व 1/20 कुल 5/28 का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार इन्द्राज दुरूस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें, डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 04.03.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में लिखवाया गया।

(कृष्णगोपाल जोजन)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)

आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)

बइजलास. श्री कृष्णगोपाल जोजन (R.A.S.) उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 137/2017

उनवान

1. प्रेमबाई आयु 62 वर्ष पत्नी आशाराम जाति मीणा निवासी बिछालस तहसील अटरू जिला बारां (राज0)

वादी

बनाम

1. शम्भूदयाल पुत्र नन्दकिशोर जाति मीणा निवासी बिछालस हाल जैल कॉलोनी अटरू तह0 अटरू जिला बारां (राज0)
2. मुरलीधर पुत्र नन्दकिशोर जाति मीणा निवासी बिछालस हाल जैल कॉलोनी अटरू तह0 अटरू जिला बारां (राज0)
3. गीता बाई पुत्री नन्दकिशोर जाति मीणा निवासी बिछालस हाल कलमण्ड़ा की झोपड़िया तह0 बारां जिला बारां (राज0)
4. भूली बाई पुत्री नन्दकिशोर जाति मीणा निवासी बिछालस तह0 अटरू जिला बारां (राज0)
5. नटीबाई पुत्री नन्दकिशोर जाति मीणा निवासी बिछालस हाल जैल कॉलोनी अटरू तह0 अटरू जिला बारां (राज0)
6. कैलाश बाई पत्नी नन्दकिशोर जाति मीणा निवासी बिछालस हाल जैल कॉलोनी अटरू तह0 अटरू जिला बारां (राज0)
7. छीतरलाल पुत्र किशनगोपाल जाति मीणा निवासी बिछालस तह0 अटरू जिला बारां (राज0)
8. प्रेमचन्द पुत्र किशनगोपाल जाति मीणा निवासी बिछालस तह0 अटरू जिला बारां (राज0)
9. रामप्रसाद पुत्र रामनाथ जाति मीणा निवासी बिछालस तह0 अटरू जिला बारां
10. शिशुपाल पुत्र रामनाथ जाति मीणा निवासी बिछालस तह0 अटरू जिला बारां
11. धनपाल पुत्र रामनाथ जाति मीणा निवासी बिछालस तह0 अटरू जिला बारां
12. भरोसी बाई पुत्री रामनाथ जाति मीणा निवासी बिछालस तह0 अटरू जिला बारां (राज0)
13. बादाम बाई पुत्री रामनाथ जाति मीणा निवासी बिछालस तह0 अटरू जिला बारां (राज0)
15. हंसराज पुत्र किशनचन्द जाति मीणा निवासी बिछालस तह0 अटरू जिला बारां (राज0)
16. देवीशंकर पुत्र किशनचन्द जाति मीणा निवासी बिछालस तह0 अटरू जिला बारां (राज0)
17. ओमप्रकाश पुत्र किशनचन्द जाति मीणा निवासी बिछालस तह0 अटरू जिला बारां (राज0)
18. चम्पाबाई पत्नी किशनचन्द जाति मीणा निवासी बिछालस तह0 अटरू जिला बारां (राज0)
19. रामदयाल पुत्र प्रभूलाल जाति मीणा निवासी बिछालस तह0 अटरू जिला बारां
20. कलावती पुत्री प्रभूलाल जाति मीणा निवासी बिछालस तह0 अटरू जिला बारां
21. कैलाबाई पुत्री प्रभूलाल जाति मीणा निवासी बिछालस तह0 अटरू जिला बारां (राज0)
22. शाखा प्रबन्धक महोदय सैन्ट्रल बैंक ऑफ इण्ड़िया शाखा अटरू तह0 अटरू
23. शाखा प्रबन्धक महोदय भारतीय स्टेट बैंक शाखा अटरू तह0 अटरू

24. शाखा प्रबन्धक महोदय बैंक ऑफ बडौदा शाखा अटरू तह0 अटरू

25. श्रीमान तहसीलदार साहब तहसील अटरू जिला बारां (राज0)

प्रतिवादीगण

<u>वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92(ए), 53 आर0टी0एक्ट0</u>
<u>एवं 136 एल0आर0एक्ट0</u>

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई .....X..... रूबरू.....X.....

बहाजिर :–

वादीगणः– विद्वान अभिभाषक श्री चन्द्र प्रकाश योगी।

प्रतिवादी क्रम 10 ल 15ः– विद्वान अभिभाषक श्री रामकरण सुमन।

मिनजानित मुदई रूबरू .....X.....

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम बिछालस की खाता संख्या 77 की किता 15 रकबा 15.63 है0 में हिस्सा 1/2 में सहखातेदार नन्दकिशोर द्वारा सम्पूर्ण हिस्सा 1/5 बैचान वादिया प्रेमबाई, को 8 बीघा तथा शेष रही आराजी किशनचन्द पुत्र लक्ष्मण मीणा को बैचान कर दी गई। इस तरह नन्द किशोर ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा 1/5 बैचान करने के कारण वर्तमान में (मृतक) नन्दकिशोर के वारिसयान प्रतिवादीगण 1 ल 6 का नाम खाते से पृथक किये जाने के आदेश किये जाते है। वादिया को हिस्सा 9/70 व 1/20 कुल 5/28 का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार इन्द्राज दुरूस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

(कृष्णगोपाल जोजन)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज .....X..... मुबालिक .....X..... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह .....X..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....X..... अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 04.03.2020 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		**मुदालयह**	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Krishna Gopal Jojan
Date: 2020.04.01 15:33:36 IST
Reason: SelfAttested
Location: